प्रेषक,

अध्यक्ष
प्रबन्ध समिति
हीवेट पालीटेक्निक
महानगर, लखनऊ।

सेवा में,

अंकित गुप्ता पुत्र श्री राजेश चन्द्र गुप्ता
पता-7/623, विकास नगर,
लखनऊ, उ0 प्र0-226022

पत्रांकः-एच0पी0एम0सी0/2018-19/प्रवक्ता(सिविल इंजी0)/18 लखनऊ दिनांकः-28 NOV 2018

विषयः-<u>विज्ञापन संख्या-एक/2015-16 दिनांकः-15.04.2016 के क्रम में प्रवक्ता सिविल इंजी0 पद पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

संबंधित विज्ञापित पदों के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-47798/2016 प्रवीन कुमार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में आपके आवेदन पत्र दिनांकः-27.04.2016 एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0, कानपुर के पत्र पृ0सं0-11170/ई-35-एक्स-नियुक्ति कानपुर दिनांकः-15.07.2016 द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांकः-25.09.2016 की संस्तुति के परिपेक्ष्य में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0, कानपुर के पत्र पृ0सं0-45820/ई-35-एक्स-अनुमोदन-हीवेट कानपुर दिनांकः-27.11.2018 द्वारा आपके चयन हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आपकी नियुक्ति प्रवक्ता सिविल इंजी0 के पद पर पे-बैण्ड रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- में निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन की जाती हैः-

1. यह कि आपकी नियुक्ति प्रवक्ता सिविल इंजी0 के पद पर पे-बैण्ड रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- में प्रारम्भिक मूल वेतन पर अस्थाई रूप से की जाती है।

2. यह कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों हेतु स्वीकृत महंगाई भत्ता, आवास भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ता आपको देय होंगे।

3. यह कि आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथमतः दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर की जाती है। यदि इस अवधि में आपका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा तो आपकी नियमित नियुक्ति की जा सकती है।

4. यह कि आपको सौंपे गये कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमास की जायेगी।

5. यह कि आपको सौंपे गये कार्य के अतिरिक्त संस्था हित में संस्था प्रशासन द्वारा पद के अनुरूप अन्य कार्य सौंपा जा सकता है जिसके लिये आपको कोई आपत्ति न होगी तथा जिसके लिये आपको कोई अतिरिक्त भत्ता देय न होगा।

6. परिवीक्षा काल में आपकी सेवायें बिना कोई कारण बताये एक माह की नोटिस के अथवा एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

7. आपकी सेवायें सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु लागू सेवानियम एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर्मचारियों हेतु समय-समय पर घोषित नियमों द्वारा संचालित होगी।

8. यह कि आप संस्था में अनुशासित रहकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी तथा लगन के साथ करेंगे।

9. कार्य दिवस में संस्था कार्यकाल में, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, संस्था में रुकना होगा।

10. यह कि आपको राज्य सरकार द्वारा देय तथा सेवा विनियमावली 1996 एवं समय-समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा अर्जित अवकाश आदि अनुमन्य होंगे।

11. यह कि आप द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व दो सम्मानित व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी/जन प्रतिनिधियों यथा सांसद/विधायक आदि) द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/राजपत्रित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. आप द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में यदि कोई असत्यता पायी जाती है, तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

13. आपको स्पष्ट रुप से अवगत कराया जाता है कि आपकी नियुक्ति पूर्णतयः मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है।

14. यदि भविष्य में संबंधित विज्ञापित पदों के संबंध में मा० न्यायालय का कोई भी निर्णय प्राप्त होता है तो वह निर्णय आपकी नियुक्ति के संबंध में प्रभावी होगा।

यदि आप उपरोक्त शर्तों/प्रतिबंधों से सहमत हों तो अपनी सहमति के साथ विलम्बतम दिनांक:-13.12.2018 तक कार्यभार ग्रहण कर लें। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि आप इस पद पर सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

28.11.18

S. Asthana

(डा० यू०सी० बाजपेयी)
प्रधानाचार्य
प्रधानाचार्य
हीवेट पालीटेक्निक, महानगर
लखनऊ-6

(डा० एस० अस्थाना)
अध्यक्ष
प्रबन्ध समिति,
हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ

पृ०सं०:- एच०पी०एम०सी०/2018-19/प्रवक्ता(सिविल इंजी०)/ लखनऊ दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर।
2. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (म०क्षे०), लखनऊ।
4. व्यक्तिगत पत्रावली।
5. वेतन लिपिक।

(डा० यू०सी० बाजपेयी)
प्रधानाचार्य

Scanned with CamScanner